कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस

Mendu Road sokhna near RTO office, Hathras E-Mail-dfohathras@gmail.com

पत्रांक 411 / १४-१, दिनांक : हाथरस, जुलाई 11 , 2020

सेवा

वरिष्ठ प्रबंधक,
घाटमपुर आगरा ट्रांसमिशन लाइन,
कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर कानपुर।

विषय : घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0 बी0 आगरा-ग्रेटर नॉएडा पारेषण लाइन हेतु जनपद अलीगढ मे प्रभवित 0.5464 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस मे प्रभावित 1.7094 हेक्टयेर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों के पातन, जनपद एटा मे प्रभावित 0.2243 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फ़िरोज़ाबाद मे प्रभावित 1.1315 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों का पातन, जनपद आगरा मे प्रभावित 0.4996 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों का पातन, जनपद बुलंदशहर मे प्रभावित 0.1912 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 4.3024 हेक्टेयर आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:-

१- भारत सरकार, पर्यावरण वन एबं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र शंखा 8 बी / यू. पि. / 04 /62 /2020 / एफ. सी ./704 दिनांक 30 .06 .2020
२- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा का पत्रांक 563 / 14 -1 दिनांक 04 .08 .2020
३- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक 134/ Trans / 41685 /2020 , अलीगढ दिनांक 10 .07 .2020
४- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलंदशहर का पत्रांक 114 / 14 -1, बुलंदशहर दिनांक 13 .07 .2020
५- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा का पत्रांक 104 / 14 -10 -1, इटावा दिनांक 09 .07 .2020
६- इस कार्यालय का पत्रांक 212 / 14 -1, दिनांक हाथरस 22 .07 .2020
७- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा का पत्रांक 251 / 14 -1, एटा दिनांक 06 .08 .2020
८- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फ़िरोज़ाबाद का पत्रांक 198 /144 फ़िरोज़ाबाद दिनांक 16 .07 .2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों में प्रभावित आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु सलग्न सारणी के अनुसार धनराशि (इ पेमेंट पोर्टल के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षरित 03 -03 प्रतियो में रसीद सहित (ऑनलाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

पत्रांक /समदिनांकित
प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक आगरा/ प्रभागीय निदेशक अलीगढ़/ प्रभागीय निदेशक बुलंदशहर / प्रभागीय निदेशक एटा / प्रभागीय निदेशक फ़िरोज़ाबाद / प्रभागीय निदेशक इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

Scanned by CamScanner

CONSOLIDATED DEMAND TOWARDS STATUTORY LEVIES IN RESPECT OF 4.3024 HA. FOREST LAND DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF AGRA- GREATER NOIDA 765 KV S/C TRANSMISSION LINE

S. No.	Name of Forest Division	Compensatory Afforestation (in Rs.)	Dwarf Medicinal Plantation in Rs.	Net Present Value in Rs.	Total Amount in Rs.
1	Social Forestry Division Agra	2029280	0	312750	**2342030**
2	Social Forestry Division Firozabad	516180	376016	708319	**1600515**
3	Social Forestry Division Hathras	1426555	511000	1070085	**3007640**
4	Social Forestry Division Etah	244700	82000	140412	**467112**
5	Social Forestry Division Aligarh	410050	203223	342047	**955320**
6	Social Forestry Division Bulandshahar	202164	77935	119692	**399791**
	Total	**4828929**	**1250174**	**2693305**	**8772408**

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

Scanned by CamScanner

CONSOLIDATED DEMAND TOWARDS STATUTORY LEVIES IN RESPECT OF 4.3024 HA. FOREST LAND DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF AGRA- GREATER NOIDA 765 KV S/C TRANSMISSION LINE

S. No.	Name of Forest Division	Area Proposed for Diversion in Ha.	Tree Density on the Forest Land Proposed for diversion	ECO-CLASS	NPV Amount in Rs.	Area Proposed for Afforestation in Ha.	Compensatory Afforestation Amount in Rs.	Dwarf Medicinal Plantation in Rs.	Total Amount in Rs.
1	Social Forestry Division Agra	0.4996	0.1	III	312750	0.9992	2029280	0	2342030
2	Social Forestry Division Firozabad	1.1315	0.1	III	708319	2.263	516180	376016	1600515
3	Social Forestry Division Hathras	1.7094	0.1	III	1070085	3.4188	1426555	511000	3007640
4	Social Forestry Division Etah	0.2243	0.1	III	140412	0.4486	244700	82000	467112
5	Social Forestry Division Aligarh	0.5464	0.1	III	342047	1.0928	410050	203223	955320
6	Social Forestry Division Bulandshahar	0.1912	0.1	III	119692	0.3824	202164	77935	399791
	Total	**4.3024**			**2693305**	**8.6048**	**4828929**	**1250174**	**8772408**

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग,
हाथरस

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 198 / 144 दिनांक : फिरोजाबाद :जुलाई 16 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर–आगरा ट्रॉन्समिशन लि०,
कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, विकास नगर,
कानपुर।

विषय– घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० द्वारा निर्माणाधीन 785 के०वी० आगरा–गेटर नोयडा पारेषण लाइन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 095464 हे० संरक्षित वन भूमि केगैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन , जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7004 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन जनपद फिरोजाबाद मे प्रभावित 1.1315 हे० आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे० आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1012 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 4.3024 हे० आरक्षित /संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०– 8 बी/यू.पी./04/02/2020/एफ.सी./704 दिनांक 30.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० द्वारा निर्माणाधीन 785 के०वी० आगरा–गेटर नोयडा पारेषण लाइन हेतु जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्धित प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा आपको विभिन्न शर्तों के साथ सैद्धान्ति स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शर्तों की अनुपालन आख्या आप द्वारा दी जानी है। अतः आप निम्नानुसार धनराशि वन विभाग के पक्ष में एडहॉक कैम्पा के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

शर्त सं0–3 – के अनुसार प्रस्ताव में फिरोजाबाद प्रभाग में 1.1315 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि 1.1315 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अर्थात 2.2706 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि व उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण के रूप में **रू0 516180/– (रू0 पांच लाख सोलह हजार एक सौ अस्सी मात्र)** की धनराशि जमा करानी होगी।

शर्त सं0–4 – के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित में 1.1315 हे0 आरक्षित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना की धनराशि के रूप में **रू0 708319/– (रू0 सात लाख आठ हजार तीन सौ उन्नीस मात्र)** जमा करना होगा।

शर्त सं0–5 – के अनुसार इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि एन0पी0वी0 में बढौत्तरी होने पर बढ़ी दर धनराशि जमा करना होगा। ।

शर्त सं0–10 – के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा औषधि पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण रू0 376016/– (रू0 तीन लाख छियत्तर हजार सोलह मात्र) की धनराशि जमा करनी होगी।

अतः आप उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त रसीद की प्रति एवं परिवेश पटल अपलोड कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अ कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाब

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषि

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा

पत्रांक 104 /14–10–1 दिनॉक, इटावा, जुलाई, 09, 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
घाटमपुर – आगरा ट्रांसमिशन लि0
644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
विकास नगर, कानपुर

आनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41685/2020

विषयः– 765 के0वी0 एकल पथ आगरा–ग्रेटर नोयडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु हाथरस वन प्रमाग में प्रभावित 1.7094 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं उस पर अवस्थित 28 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/62/2020/एफ0सी0/704 दिनांक–30.06.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद हाथरस की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. **बिन्दु संख्या–3** के अनुसार परियोजना में हाथरस वन प्रभाग में प्रभावित हो रही 1.7094 हे0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात इटावा वन प्रभाग के इकनौर वन ब्लाक लखना रेंज में चयनित 3.4188 हे0 वन भूमि में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1426555.*00/–(चौदह लाख छब्बीस हजार पॉच सौ पचपन रूपये मात्र)* की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **बिन्दु संख्या–10** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 1.7094 हे0 वन भूमि पर लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु इटावा वन प्रभाग के इकनौर वन ब्लाक लखना रेंज में चयनित 2.00हे0 वनभूमि पर रोपण के लिये रू0 *511000.00/– (पॉच लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र)* की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
(राजेश सिंह वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांक 104 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन को उनके पत्रांक–2797/14–1 दि0–11.03.2020 आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार यूजर एजेंन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि की मांग करने का कष्ट करें ।

(राजेश सिंह वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

O/C

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 134 / Trans/41685/2020,अलीगढः दिनांकः जुलाई, 10 ,2020

सेवामें,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर आगरा ट्रांसमिशन लाइन,
कांपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर,
कानपुर।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Trans/41685/2020)

विषयः– **घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन 765 के0मी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों क पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 4.3024 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी/यूपी/04/62/2020/एफ0सी0/704 दिनांक 30.06.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11सी'–60 11सी– FP/UP/TRANS/41685/2019 दि0 08.07.2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन 765 के0मी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों क पातन, की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के कम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही/प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने की मांग की जाती है।

शर्त सं0–1: प्रकरण में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि– **Legal status of the forest land shall remain unchanged.**

शर्त सं0–3: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर **(0.5464x2= 1.0928ha.)** अर्थात 1.0928 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 4,10,050/– (चार लाख दस हजार पचास मात्र) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

शर्त सं0–4: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566

Scanned with CamScanner

में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.II) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 6,26,000/– की दर से 0.5464 X 6,26,000 = 3,42,046. 00 (तीन लाख बियालीस हजार छियालीस मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधिं प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।

शर्त सं0–5: इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency"

शर्त सं0–6: इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall restrict the felling of trees to minimum numer in the diverted forest land and the trees shall by felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department."

शर्त सं0–7: All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)

शर्त सं0–8: The complete compliance of the FRA, 2006 shall br ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–9: User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

शर्त सं0–10: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 2,03,223/– (दो लाख तीन हजार दो सौ तेईस मात्र) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

शर्त सं0–11: प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा, ताकि bird hits न हो सकें। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–12: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि– The User Agency shall comply with the guidlenes for lying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 & 19.11.2014.

<u>शर्त सं0–13:</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र कि प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति नहीं किया जाएगा।

शर्त सं0–14: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वनभूमि पर कोई लेबर कैम्प की स्थापना नहीं किया गया जायेगा।

शर्त सं0–15: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to

Scanned with CamScanner

the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel

शर्त सं0–16: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

शर्त सं0–17: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

शर्त सं0–18: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

शर्त सं0–19: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

शर्त सं0–20: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The forest land proposed to be diverted shall under no circumastance be transferred to any other agencies, department or persom without prior approval of Govt. Of India.

शर्त सं0–21: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&cc Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.01.2018.

शर्त सं0–22: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife.

शर्त सं0–23: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि No Felling shall be done in TTZ Area without approval of Hon'ble Supreme Court.

शर्त सं0–24: The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in//)

उक्त प्रकरण में घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन 765 के0मी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों क पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्थ >30 से0मी0)
1	अलीगढ	36

छपान:– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 36 वृक्ष/पौधे दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष/पौधे)* रू0 360/–** का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

Scanned with CamScanner

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। अनुपालन आख्या के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras@gmail.com

पत्रांक 212 / 14—1, दिनांकः हाथरस, जुलाई, 22 ,2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर आगरा ट्रान्समिशन लाइन,
कौपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर कानपुर।

विषयः— घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० द्वारा निर्माणधीन 765 के0वी0 आगरा—ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों का पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों का पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 4.3024 है0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/04/62/2020/एफ0सी0/704 दिनांक 30.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि हाथरस वन प्रभाग में 765 के0बी0एस0सी0 आगरा—ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु परियोजना में हाथरस वन प्रभाग की 1.7094 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपको विषयगत प्रस्ताव में विभिन्न शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तो की अनुपालन एवं निर्देशों के कम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तो सम्बन्धी कार्यवाही/प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने की मॉग की जाती है।

1. Legal status of forest land shall remain unchanged. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.6477 ha. degraded forest land (compartment/khasra No. Not provided, village –Sankurikala, Ismilepur,Ikanaur, Pala,Manpur, Sofipur Tehsil-Fatehabad, Firozabad , Chakarnagar, Tundla, Etah, Aligarh, Khurja, District- Agra, Firozabad, Etah, Etawah, Aligarh, Bulandshshar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous apecies shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा के पत्रांक 104/14—10—1 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार धनराशि जमा कर ऑनलाइन चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) सं0 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या—566 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, 09.05.2008 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5—1/1998—एफ0सी0 दिनांक 18.09.

Scanned with CamScanner

2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0 1070085.00 (दस लाख सत्तर हजार पिच्यासी रूपये मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management) में ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा जमा कर ऑनलाइन पैमेन्ट हिस्ट्री की प्रति उपलब्ध करायें।

5. Additional amount of the NVP of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the state government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with State Forest Department. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through ***e-portal (https:parivesh.nic.in/).***
8. The completed of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें।
9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions Environmental (Protection) Act. 1986. If applicable.
10. The User Agency in consultation with the State Forest Department prepare detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably) medicinal plants) in right of way under the transmission line and deposite the required amount as per sanctioned scheme of plantation for execution of the said scheme to the State Forest Department. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा के पत्रांक 104/14–10–1 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार धनराशि जमा कर ऑनलाइन चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।
11. The User agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
12. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission line through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
13. The layout plan f the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
14. No labour camp shal be established on the forest land. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the Divisional Forest Officer. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

Scanned with CamScanner

18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
23. No Felling shall be done in TTZ Area without approval of Hon'ble Supreme Court. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
24. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https:parivesh.nic.in/).*

उक्त प्रस्ताव में वाधक 28 वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक प–105/16–57(लॉट) दिनांक 23.09.2014 के बिन्दु संख्या–2 में हुये संशोधन के अनुसार रू0 10/वृक्ष के अनुसार) 28 वृक्षों का छपान शुक्ल मु0 280.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के नाम देय हों प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एम0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक **/14–1, दिनांकित।**

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0के0 शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक 114 /14–1,दिनांक बुलन्दशहर,13 जुलाई, 2020।

सेवा में

सीनियर मैनेजर,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0,
मकान नं0 बी–218 सिगमा–1,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– घाटमपुर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ में प्रभावित 0.5464 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 4.3024 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0 8बी/यू0पी0/04/62/2020/एफ0सी0/704 दिनांक 30.06.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.06.2020 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त संख्या 1 से 24 तक बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ की पत्र सं0 60 11सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्समिशन/41685/2019 दिनांक 08.07.2020 (छाया प्रति संलग्न)में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र (5 प्रतियाँ मूल में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.6477 ha. degraded forest land (Compartment/Khasra No. Not provided, Village-Sankurikala, Ismilepur, Ikanaur, Pala, Manpur, Sofipur Tehsil. Fatehabad, Firozabad, Chakarnagar, Tundala, Eta, Aligarh, Khurja District-Agra, Firozabad, Etah, Etawah, Aligarh, Bulandshahr at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision

for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. इस सम्बन्ध में बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.1912 हे0 की दुगनी अवनत वन भूमि 0.3824 हे0 इस्माईलपुर बुढैना वन ब्लॉक की ऊसर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 2,02,164/– ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.3024 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.07.2009 in this regard. इस सम्बन्ध में बुलन्दशहर वन प्रभाग की प्रभावित 0.1912 हे0 भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 1,19,692/– ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land. if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of filling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)

8. The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act,1986, if applicable.

10. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medical plants) in right of way under the transmission line and deposite the required amount as per sanctioned scheme of plantation for execution of the said scheme to the State Forest Department. इस परियोजना में बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित हो रही 0.1912 हे0 संरक्षित वन भूमि पर लाईन के नीचे बोने/औषधीय पौधारोपण एवं इसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 77,935/–ई–पेमेन्ट पार्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

11. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

12. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Minstry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 &19.11.2014.

13. The layout plan of the propsal shall not be changed without prior approval of Central Government.

14. No labour camp shall be established on the forest land.

15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the porject life, whichever is less.

19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. of India.

21. Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

23. No felling shall be done in TTZ Area without approval of Hon'ble Supreme Court.

24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या/बचनबद्धतता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
18 बुलन्दशहर।

संख्याः / दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

Email Id-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 563 /14–1 आगरा : दिनांक 04/08/~~जुलाई~~, 2020

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0
644, लखनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी
विकास नगर, कानपुर।

विषय : घाटमपुर ट्रांशमिशन लि0 द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 आगरा–ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू.पी./04/62/2020/एफ.सी./709 दिनांक 30.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्वता प्रेषित करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगां
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 0.4996 हे0 के दुगने हे0 क्षेत्र में वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि रू0 2029280.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 312750.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के कम में वन अधिकार अधिनियम–2006 जिलाधिकारी आगरा द्वारा निर्गत इस कार्यालय में जमा कराना होगा।

Email Id-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

6. प्रयोक्ता द्वारा संदर्भित पत्र में लगाई गयी शर्त सं0–7 से 24 तक के अनुपालन में सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 251 /14-1 एटा दिनांक 6-8- 2020

सेवा में,

सीनियर मैनेजर,
घाटमपुर ट्रांस मिशन लिमिटेड,
644 एवं 644ए लखनपुर,
कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
विकास नगर, कानपुर।

विषय— घाटमपुर ट्रांमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 आगरा –ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans/41685/2020

संदर्भ— क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–8बी/ यू0पी0/ 04/62/2020/एफ0सी0/704 दिनांक 30.06.2020 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–11सी–60/FP/UP/Trans/ 41685/2020 दि0 29.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा 1 से 23 शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, दी गई शर्तो के क्रम में आपसे निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

शर्त सं0– 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति के परिवर्तन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में वचनवद्वता।
शर्त सं0– 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 0.4486 हे0 में 494 पौधों के रोपण हेतु मु0 रू0 244700/– (दो लाख चवालीस हजार सात सौ मात्र) की धनराशि की धनराशि ई– पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।
शर्त सं0– 4	विषयांकित प्रस्ताव से सम्बन्धित एन0पी0ए0 की धनराशि 140412/– (एक लाख चालीस हजार चार सौ बारह मात्र) की धनराशि ई– पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।
शर्त सं0– 5	एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा किये जाने की वचनवद्वता
शर्त सं0– 6	यूजर एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वृक्षों का पातन वन निगम के माध्यम से वन विभाग की देखरेख में कराया जायेगा तथा वृक्षों के पातन पर आने वाले का भुगतान वन निगम को किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 7	प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड में ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की जायेगी।
शर्त सं0– 8	जिलाधिकारी, एटा द्वारा हस्ताक्षरित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र सील सहित।
शर्त सं0– 9	यूजर एजेन्सी द्वारा आवश्यकता के अनुसार Enviornmental Clearance हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार अनुमति लेनी होगी।
शर्त सं0– 10	पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधारोपण स्कीम के अनुसार मु0रू0 82000/– (बियासी हजार मात्र) का ई–पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
शर्त सं0– 11	यूजर एजेन्सी द्वारा पारेषण लाईन के ऊपरी कॉन्ट्रेक्टर पर अपने स्वंय के खर्चे के रखने पर उपयुक्त अन्तराल पर Bird Hits को Avoid करते हुए लगाने सम्बन्धी वचनवद्वता।

शर्त सं0– 12	वन भूमि में पारेषण लाईन बिछाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के मंत्रालय के पत्रांक 7–25/2012–एफ0सी0 दिनांक 05.05.2020 एवं 19.11.2014 द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता।
शर्त सं0– 13	भारत सरकार की स्वीकृति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में परिवर्तन न किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता।
शर्त सं0– 14	वन भूमि में लेवर कैम्प स्थापित न किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 15	यूजर एजेन्सी द्वारा श्रमिकों को ईंधन लकड़ी के वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 16	सी0ए0 लैण्ड के सर्वेक्षण एवं सीमांकन 12 (बारह) बाउण्ड्री पिलर (सीमा स्तम्भों) हेतु धनराशि 36000/–(3000 प्रति सीमा स्तम्भ) की धनराशि ई– पोर्टल से जनरेट ई–चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।
शर्त सं0– 17	पारेषण लाईन के निर्माण के लिए कोई नया या अतिरिक्त मार्ग का निर्माण नहीं किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 18	सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 19	प्रस्ताव से सम्बन्धित हस्तान्तरित वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने वाली सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 20	भारत सरकार की अनुमति के बना हस्तान्तरित वन भूमि किसी व्यक्ति या एजेन्सी को नहीं किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 21	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण पत्र
शर्त सं0– 22	किसी अन्य परिस्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा वन्य जीव व वन के विकास एवं सुरक्षा एवं संरक्षण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन किये जाने सम्बन्धी वचनवद्वता
शर्त सं0– 23	टी0टी0जेड0 क्षेत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किसी वृक्ष के पातन न किये जाने की वचनवद्वता

उपरोक्त शर्तों का पालन/वचनवद्वता व ई–चालान की मूल प्रतियॉं प्रस्तुत करें। उक्त समस्त शर्तों के सम्बन्ध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति ही अन्तिम मानी जायेगी।

भवदीय,

06/08/2020

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।